तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	ने… अहक… की ता…
6/3/26	वकालतनामा … [illegible]	
6/3/26	वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर हस्ता० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर बाद तकमील हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 2 / 84 / 2018 दायर दिनांकः— 02 / 07 / 2018

जीसीएमएस नं0:— 2018 / 00220 निर्णय दिनांकः— 06 / 03 / 2026

वउनवान

1. पुष्पेन्द्र पुत्र श्री बाबूलाल उर्फ बाबूराम पोत्र रामचन्द जाति मीना निवासी कुटटीनसाबदास तहसील कठूमर जिला अलवर

------ सायल

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र रामचन्द जाति मीना निवासी कुटटीनसावदास
2. भौती पत्नी रामचन्द जाति मीना जाति मीना निवासी कुटटीनसावदास
3. रामकरण पुत्र रामचन्द जाति मीना निवासी कुटटीनसावदास
4. रामहंस पुत्र रामचन्द जाति मीना निवासी कुटटीनसावदास
5. पुष्पेन्द्र पुत्र बाबूलाल जाति मीना निवासी कुटटीनसावदास
6. केलादेवी पुत्री रामचन्द जाति मीना निवासी कुटटीनसावदास
7. फूलवती देवी पुत्री रामचन्द जाति मीना निवासी कुटटीनसावदास
8. किरनदेवी पुत्री रामचन्द जाति मीना निवासी कुटटीनसावदास तहसील कठूमर जिला अलवर
9. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः–श्री देवेन्द्रसिंह नरूका–एड0 अधिवक्ता सायलान

श्री पुरूषोत्तम अवस्थी – अधिवक्ता गैरसायल सं0 1 व 5

श्री गिरधारीलाल शर्मा–अधिवक्ता गैरसायल संख्या 2 ला0 4 व 6 ला0 8

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

—::निर्णय::—

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 13, 14, 15, 323, 324, 327, 235, 236, 02, 17, 62, 66, 67, 68, 129, 194, 308, 316, 317, 334, 351, 352, 193, 320, 326 ग्राम कुटटीनसावदास व खसरा नम्बर 988, 746, 752, 995, 743 वाके ग्राम खेरलीरेल व खसरा नम्बर 61, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 72, 46, 50, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 54, 55, 56 वाके ग्राम कुटटीनसावदास तहसील कठूमर में स्थित है। सायल ने प्रार्थना पत्र के पेरा सं0 3 में परिवार का सजरा पेश किया है तथा सायल के हिस्सा अंकित किये है। रामचन्द सायल का दादा भौती सायल की दादी व गैरसायल सं0 2 बाबूराम सायल के पिता है। उपरोक्त विवादित आराजी सायल के दादा रामचन्द्र व सायल की दादी भौती की क्रयशुदा/पैदा कर्दा आराजी है जिसमें सायल को जन्म से ही हक व अधिकार पैदा हो चुके है। कानूनन दादा दादी की आराजी में उसके पोत्रों को जन्म से ही हक वो अधिकार पैदा हो जाते है। उपरोक्त विवादित आराजी सायल के दादा रामचन्द्र व दादी भौती की पैदा कर्दा आराजी होने से पेत्रिक आराजी है जिसमें सायल को जन्म से ही हक व अधिकार प्राप्त हो चुके है। सायल अपने हिस्से पर काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा मौके पर कब्जे काश्त में है लेकिन राजस्व रिकार्ड में सायल पिता गैरसायल सं0 2 व सायल की दादी गैरसायला सं0 1 की खातेदारी में दर्ज रहने से सायल के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। सायल ने गैरसायल सं0 1–2 से अपने हिस्सा की आराजी अपने नाम कराने बाबत कहा तो गैरसायल सं0 1–2 ने इन्कार कर दिया। अतः सायल अपने हिस्सा की आराजी अपने नाम घोषित कराने का अधिकारी है। गैरसायलान आपस में सायल के खिलाफ मिले हुये है जो हाल राजस्व रिकार्ड के आधार पर विवादित आराजी को गैरसायलं सं0 9 से मिलकर दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है तथा सायल को पैत्रिक आराजी में मिलने वाले हिस्से से बंचित करना चाहते है गैरसायलान ने सायल को उसके हिस्से पर शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देने व

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

हन वय करने की धमकी दी है। गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व धिकार नहीं है। गैरसायलान मना करने से नहीं मान रहे है यदि गैरसायलान पने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल तवाह एंव वर्वाद हो जावेगा ीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायल को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायल सं0 3, 4 व 6 ला0 8 ने जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि पैरा सं0 2 में वर्णित आराजी ग्राम कुटटीनसावदास व ग्राम खेरलीरेल में स्थित है। बाबूलाल के दो पुत्र पुष्पेन्द्र व रवि के अलावा तीन पुत्री सुनीता विनीता और अनीता और है जिनको सायल ने सजरा में अंकित नहीं किया है और ना पक्षकार बनाया है विवादित आराजी से सायल का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। विवादित आराजी स्वअर्जित आराजी ना होकर स्वअर्जित है। विवादित आराजी में सायल को जन्म से ही हक व अधिकार पैदा नहीं होते। विवादित आराजी सही रूप से हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। क्रेता कमलेश को मुकदमा में पक्षकार नहीं बनाया है। मृतक भौती को कर्जा चुंकाने व घरेलु आवश्यकता के लिये रूपयों की जरूरत थी जिस कर्जा को चुकाने व घरू आवश्यकता के लिये भौती ने अपना खरीदशुदा आराजी खसरा नम्बर 988, 743 को श्रीमति कमलेश को बेचान किया है तथा कब्जा कराया है सायल नाकाविज है। गैरसायल सं0 1–2 विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार हैं जिन्हें विवादित आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा हक व अधिकार है। कानूनन सायल के पिता बाबूलाल जीवित हैं पिता के जीवनकाल में उसके पुत्र पुत्रियों का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं बनता है। सायल ने सही तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे। वहस सुनी गई। पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। सायल को अपने प्रार्थना पत्र को अपने पक्ष में साबित करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को साबित कराना है।

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

प्रथम दृष्टा केस

अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायल कके दादा रामचन्द व दादी भौती की क्रयशुदा/पैदा कर्दा है। जिसमें सायल को जन्म से ही हक व अधिकार प्राप्त हो चुके है। विवादित आराजी में सायल का मुताविक हिस्सा कब्जा है. लेकिन विवादित आराजी गैरसायल सं0 1–2 की खातेदारी में दर्ज रहने से सायल के अधिकारों पर विपरीत असर पड रहा है तथा गैरसायलान सायल के हिस्सा के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है तथा रहन वय करना चाहते है। अतः अधिवक्ता सायल ने गैरसायलान को ता फैसला दावा स्टे आदेश से पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया है व कथन किया कि विवादित आराजी गैरसायला सं0 1–2 की स्वअर्जित है। सायल ने आवश्यक पक्षों को मुकदमा में पक्षकार नहीं बनाया है। विवादित आराजी में सायल का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। सायल का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। उक्त आराजी पैत्रिक आराजी नहीं है जिसमें सायल का कोई हक हिस्सा व अधिकार जन्म से ही नहीं बनता है। अतः प्रार्थना पत्र सायल खारिज किया जावे।

1. **प्रथम दृष्टा केसः**–हमने पत्रावली के तथ्यों, जवाव दर0 सायल द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 का अवलोकन किया

उपखण्ड अधिकारी (अजमेर) राज.

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। गैरसायलान ने यह सावित नहीं किया है कि विवादित आराजी गैरसायला सं0 1–2 की स्वअर्जित है। विवादित आराजी पैत्रिक है या स्वअर्जित तथा विवादित आराजी पर सायल का गैरसायल सं0 1–2 के नाम दर्ज आराजी में हिस्सा बनता है या नहीं व कब्जा के बारे में तथ्य मूल वाद में साक्ष्य सवूत आने पर तय किये जायेगे हाल राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी गैरसायला सं0 1–2 भौती की खातेदारी में दर्ज है। गैरसायला भौती का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान के नाम अभी विरासत इन्तकाल भी खुलना है यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायलान विवादित आराजी में सायल के हिस्से के कब्जे काश्त में बाधा पैदा कर सकते है। प्रकरण एक ही परिवार के लोगो से सम्बन्धित है। जिससे प्रथम दृष्टा केस सायल के पक्ष में प्रतीत होता है।

2. **सुविधा का सन्तुलनः–** यदि गैरसायलान ने विवादित आराजी में सायल के हिस्सा के कब्जे काश्त में बाधा पैदा की तो सायल को असुविधा होना संभव है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में सावित होता है।

3. **ना–पूर्ति होने वाली क्षतिः–** यदि गैरसायलान ने विवादित आराजी में मृतक भौती के वारिसान के नाम इन्तकाल खुले बिना व अधिकारों का तय हुये विना विरासत इन्तकाल अपने नाम स्वीकार करा लिया तो पक्षकारान के मध्य वाद वहुलता बढने से इन्कार नहीं किया जा सकता। इससे अपार हानि सायल के पक्ष में होना संभव है। गैरसायलान को किसी तरह की क्षति होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं।

उपरोक्त तीनों बिन्दु सायल के पक्ष में बखुवी सावित है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
(अस्पष्ट) (अस्पष्ट) राज०

—:आदेश:—

अतः प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में सावित है। विवाद एक ही परिवार के सम्बन्धित है। जिस कारण विवादित आराजी का मूल वाद के निस्तारण तक मूल स्वरूप बनाये रखा जाना जरूरी प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार कर गैरसायलान को पावन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 13, 14, 15, 323, 324, 327, 235, 236, 02, 17, 62, 66, 67, 68, 129, 194, 308, 316, 317, 334, 351, 352, 193, 320, 326 ग्राम कुटटीनसावदास व खसरा नम्बर 988, 746, 752, 995, 743 वाके ग्राम खेरलीरेल व खसरा नम्बर 61, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 72, 46, 50, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 54, 55, 56 वाके ग्राम कुटटीनसावदास तहसील कठूमर की मूल वाद के निस्तारण तक मौका एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 02.07.2018 को मूल वाद के निस्तारण तक कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

आज दिनांक 06.03.2026 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवेल(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)